

न्यायालय सहायक कलक्टर (उपखण्ड अधिकारी) नाथद्वारा जिला राजसमन्द
(पीठासीन अधिकारी- रक्षा पारीक, आरुएएएस)

प्रकरण संख्या - 99/2017 (रे.वाद)

दायर दिनांक - 17/07/2017

निर्णय दिनांक - 03/04/2025

अनवान

1. पुरुषोत्तम पिता भगवानलाल जोशी ब्राह्मण निवासी बामनहेडा, तहसील नाथद्वारा जिला राजसमन्द

वादी

बनाम

1. चम्पालाल पिता भगवानलाल जोशी ब्राह्मण निवासी बामनहेडा, तहसील नाथद्वारा जिला राजसमन्द
2. केसुलाल पिता भगवानलाल जोशी ब्राह्मण निवासी बामनहेडा, तहसील नाथद्वारा जिला राजसमन्द
3. पारी बेवा भगवानलाल (फौत) जोशी ब्राह्मण निवासी बामनहेडा, तहसील नाथद्वारा जिला राजसमन्द
4. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार नाथद्वारा, जिला राजसमन्द

प्रतिवादीगण

उपस्थित -

वादी की ओर से - श्री गणपत कोठारी, अधिवक्ता

प्रतिवादीगण की ओर से - श्री अशोक वैष्णव, अधिवक्ता

दिनांक - 03/04/2025



वाद बाबत् विभाजन

:: निर्णय ::

वादी ने जरिये अधिवक्ता वाद बाबत् विभाजन का प्रस्तुत किया कि राजस्व ग्राम खेडाणा तहसील नाथद्वारा में वादी के संयुक्त स्वामित्व, आधिपत्य एवं खातेदारी अधिकारों की आराजी संख्या 881, 882, 883, 884, 885, 886, 887, 896, 897 कुल किता-09 कुल रकबा 03-04 बीघा भूमिया स्थित है। जिसमें प्रतिवादी संख्या 03 फौत हो वादी एवं प्रतिवादी संख्या 01 व 02 का समान हक व हिस्सा है। उक्त संयुक्त स्वामित्व, आधिपत्य एवं खातेदारी अधिकारों की वादग्रस्त आराजियात का वादी द्वारा विभाजन चाहा गया है। जिस पर न्यायालय की प्रारम्भिक डिक्री की पालना में तहसीलदार नाथद्वारा द्वारा पक्षकारान के मध्य विभाजन प्रस्ताव तैयार कर भिजवाया गया जिस पर अधिवक्ता वादी ने आपत्ति जाहिर की जो बाद सुनवाई आपत्ति खारिज होने एवं प्रतिवादी अधिवक्ता द्वारा सहमति प्रदान करने से वादी का वाद बाबत् विभाजन का स्वीकार किया जाकर पक्षकारान के मध्य निम्नानुसार विभाजन किया जाता है :-


सहायक कलक्टर
(उपखण्ड अधिकारी)
नाथद्वारा जिला राजसमन्द

क. स.	नाम खातेदार	आराजी संख्या	रकबा	किस्म	लगान
1.	चम्पालाल पिता भगवान ब्राह्मण सा. वामनहेडा खातेदार	886 मीन	00.09.10	मीन	1.82
		885 मीन	00.08.10	काही 2	1.79
		881 मीन	00.02.12	बाराणी 2 काही 2	0.84
	योग	किता-03	01.00.12	-	4.45
2.	पुरुषोत्तम पिता भगवान ब्राह्मण सा. वामनहेडा खातेदार	886/1	00.02.00	चाही 2	0.65
		896	00.07.00	बाराणी 2	0.35
		897	00.09.00	बाराणी 2	0.35
		881/1	00.00.14	मीड 2	0.10
		885/1	00.02.00	चाही 2	0.23
	योग	किता-05	01.00.14	-	2.33
3.	केसुलाल पिता भगवान ब्राह्मण सा. वामनहेडा खातेदार	883	00.03.00	बाराणी 2	0.15
		884	00.06.00	बाराणी 2	0.30
		887	00.05.00	बाराणी 2	0.25
		881/2	00.00.14	चाही 2	0.23
		885/2	00.02.10	चाही 2	0.81
		886/2	00.03.10	चाही 2	1.14
	योग	किता-06	01.00.14	-	2.88
4.	चम्पालाल, पुरुषोत्तम, केसुलाल पिता भगवान ब्राह्मण सा. वामनहेडा खातेदार	882	0.02.00	आ.चा.	-
	योग	किता-01	0.02.00	-	-

उपरोक्तानुसार पक्षकारान के राजस्व रेकार्ड में पृथक-पृथक अंकन किया जावे तथा विभाजन प्रस्ताव एवं नक्शा ट्रेस निर्णय का जूज हिस्सा रहेगा। पालनार्थ तहसीलदार नाथद्वारा को लिखा जावे। इसी अनुरूप डिकी पर्चा कायम हो। पत्रावली फैसल शुमार हो नम्बर से कम की जावे।

निर्णय आज दिनांक 03/04/2025 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सरे ईजलास सुनाया गया।



LS
(रक्षा पारीक)
सहायक कलेक्टर
(उपखण्ड अधिकारी)
नाथद्वारा जिला-कनपुर

मूल वाद में डिक्री (आदेश 20 नियम 6 व 7)
न्यायालय सहायक कलक्टर (उपखण्ड अधिकारी) नाथद्वारा जिला राजसमन्द
(पीठासीन अधिकारी- रक्षा पारीक, आर०१०११००)
प्रकरण संख्या - 99/2017 (रे.वाद)

वादीपक्ष -

1. पुरुषोत्तम पिता भगवानलाल जोशी ब्राह्मण निवासी बामनहेडा, तहसील नाथद्वारा जिला राजसमन्द

बनाम

प्रतिवादीपक्ष -

1. चम्पालाल पिता भगवानलाल जोशी ब्राह्मण निवासी बामनहेडा, तहसील नाथद्वारा जिला राजसमन्द
2. केसुलाल पिता भगवानलाल जोशी ब्राह्मण निवासी बामनहेडा, तहसील नाथद्वारा जिला राजसमन्द
3. पारी बेवा भगवानलाल (फौत) जोशी ब्राह्मण निवासी बामनहेडा, तहसील नाथद्वारा जिला राजसमन्द
4. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार नाथद्वारा, जिला राजसमन्द

दावा :- विभाजन

वादी की ओर से - श्री गणपत कोठारी, अधिवक्ता

प्रतिवादीगण की ओर से - श्री अशोक वैष्णव, अधिवक्ता

मैं इस आशय में दिनांक 03/04/2025 को न्यायालय के समक्ष अंतिम निपटारे के लिए पेश होने पर आदेश दिया जाता है और डिक्री दी जाती है कि राजस्व ग्राम खेडाणा तहसील नाथद्वारा में वादी के संयुक्त स्वामित्व, आधिपत्य एवं खातेदारी अधिकारों की आराजी संख्या 881, 882, 883, 884, 885, 886, 887, 896, 897 कुल किता-09 कुल रकबा 03-04 बीघा भूमिया स्थित है। जिसमें प्रतिवादी संख्या 03 फौत हो वादी एवं प्रतिवादी संख्या 01 व 02 का समान हक व हिरसा है। उक्त संयुक्त स्वामित्व, आधिपत्य एवं खातेदारी अधिकारों की वादग्रस्त आराजियात का वादी द्वारा विभाजन चाहा गया है। जिस पर न्यायालय की प्रारम्भिक डिक्री की पालना में तहसीलदार नाथद्वारा द्वारा पक्षकारान के मध्य विभाजन प्रस्ताव तैयार कर भिजवाया गया जिस पर अधिवक्ता वादी ने आपत्ति जाहिर की जो बाद सुनवाई आपत्ति खारिज होने एवं प्रतिवादी अधिवक्ता द्वारा सहमति प्रदान करने से वादी का वाद बाबत विभाजन का स्वीकार किया जाकर पक्षकारान के मध्य निम्नानुसार विभाजन किया जाता है :-

क. स.	नाम खातेदार	आराजी संख्या	रकबा	किस्म	लगान
1.	चम्पालाल पिता भगवान ब्राह्मण सा. बामनहेडा खातेदार	886 मीन	00.09.10	कीट	1.82
		885 मीन	00.08.10	वादी 2	1.79
		881 मीन	00.02.12	वादी 2	0.84
	योग	किता-03	01.00.12	-	4.45



LS
सहायक कलक्टर
(उपखण्ड अधिकारी)
नाथद्वारा जिला राजसमन्द

2.	पुरुषोत्तम पिता भगवान ब्राह्मण सा. बामनहेडा खातेदार	886/1	00.02.00	गाही 2	0.65
		896	00.07.00	बाराणी 2	0.35
		897	00.09.00	बाराणी 2	0.35
		881/1	00.00.14	वीड 2	0.10
		885/1	00.02.00	गाही 2	0.23
	योग	किता-05	01.00.14	-	2.33
3.	केसुलाल पिता भगवान ब्राह्मण सा. बामनहेडा खातेदार	883	00.03.00	बाराणी 2	0.15
		884	00.06.00	बाराणी 2	0.30
		887	00.05.00	बाराणी 2	0.25
		881/2	00.00.14	गाही 2	0.23
		885/2	00.02.10	गाही 2	0.81
		886/2	00.03.10	गाही 2	1.14
	योग	किता-06	01.00.14	-	2.88
4.	चम्मालाल, पुरुषोत्तम, केसुलाल पिता भगवान ब्राह्मण सा. बामनहेडा खातेदार	882	0.02.00	आ.चा.	-
	योग	किता-01	0.02.00	-	-

उपरोक्तानुसार पक्षकारान के राजस्व रेकार्ड में पृथक-पृथक अंकन किया जावे तथा विभाजन प्रस्ताव एवं नक्शा ट्रेस निर्णय का जूज हिस्सा रहेगा। पालनार्थ तहसीलदार नाथद्वारा को लिखा जावे। पत्रावली फ़ैसल शुमार हो नम्बर से कम की जावे।

डिकी आज दिनांक 03/04/2025 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मोहर से जारी की गई।



LS
(रक्षा पारीक)
महायुक्त कलक्टर
(उपलब्ध प्रबिकारी)
राजद्वारा बिजा प्रबिकारी